



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 13.09.2024

**विषय:- नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश के अनुपालन में अपराधों की रोकथाम, वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0168/2024 धारा 137(2), 87, 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉस्को एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेंट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मण विश्वकर्मा निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी को दिनांक 13/09/2024 को सूजाबाद ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**सम्बन्धित अभियोग-** मु0अ0सं0- 0168/2024, धारा- 137(2) / 87 / 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉस्को एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेंट वाराणसी।

**घटना का विवरण-** दिनांक- 10/09/2024 को वादिनी मुकदमा ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 09/09/2024 को वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को राहुल विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मण विश्वकर्मा निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0168/2024 धारा 137(2) / 87 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. राहुल विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मण विश्वकर्मा निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी उम्र 21 वर्ष।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 1- प्र0नि0 श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेंट वाराणसी।
- 2- उ0नि0 श्री शिवम सोनी थाना रामनगर कमिश्नरेंट वाराणसी।
- 3- का0 रणधीर गौड़ थाना रामनगर कमिश्नरेंट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन  
कमिश्नरेंट वाराणसी।